पत्रांक- 2110 /लोनि/2010

प्रेषक,

पदिया,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 28 मार्च, 2011

विशयः– **मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक संयोजन योजना के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित 77 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यो यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों, के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 4950.43 लाख (₹ उन्चास करोड़ पचास लाख तिरालीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 77 कार्यो हेतु ₹ 7.70 लाख (₹ सात लाख सत्तर हजार मात्र) के व्यय की, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(ii)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही पैदल सेतु का निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(iii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(v)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(vi)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vii)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

(VIII)– [illegible] 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन पठित करते समय [illegible] अनुमोदन सुनिश्चित किया जायेगा।

(IX)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(X)– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0– 22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सडकें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–03– मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक संयोजन योजना–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(XI)– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 198/XXVII/(2)/2010 दि0: 28 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:– (1)/III(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
गार्ड बुक।

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

पृ0 सं0- 409/20 याता0-(क)/10 दि0-30/3/11
उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
01- मुख्य अभि0 ग0/कु0मं0, लो0नि0वि0 पौड़ी/अल्मोड़ा
02- अधीक्षण अभियन्ता 7 वृत्त, लो0नि0वि0
03-

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

28	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड नारायणबगड़ में नारायणबगड़–भगोती मो0मा0 के किमी09 से सिलोड़ी–मनुडा–देवली लग्गा छैफुडा मो0मा0 का निर्माण।	4.00	50.40	0.10
30	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक–कण्डई मो0मा0 के किमी0 2 से चोपडाकाट तक मो0मा0 का निर्माण।	4.00+ 1 सेतु	50.40	0.10
31	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत आगर जिनगोड़ मो0मा0 का वासीसेम लग्गा अक्सवाडा तक मो0मा0 का विस्तार।	7.00	88.20	0.10
32	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग में गौचरं–दुवा मो0मा0 से ग्राम अंगोथ तक मो0मा0 निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	2.00	25.20	0.10
33	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में वि0ख0 पोखरी में रौता– मालकोटी–सेरा मो0मा0 निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	5.00	63.00	0.10
34	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड देवाल में मानमति–चोटिंग–हरमल–झलिया मो0मा0 का निर्माण।	20.00	252.00	0.10
35	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड थराली में जुनीधार–गोठिन्डा–टुन्ड्री मो0 मार्ग का निर्माण	10.00	126.00	0.10
36	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत ग्राम भंग्यूल एवं गहर को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग एवं किमी0 1.00 में अलकनन्दा नदी पर 90.00 मी0 स्पान मोटर सेतु का निर्माण	1 सेतु + 4.00 किमी0 मोटर मार्ग	50.40	0.10
37	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कोडिया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार	4.50 किमी0 मोटर मार्ग + 1 सेतु	56.70	0.10
38	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में अन्थोली–जाखाल मो0मा0 से विरानगांव तक मो0मा0 का नव निर्माण।	3.00	37.80	0.10
39	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में रूद्रप्रयाग–पोखरी मो0मा0 के किमी0 10 ढमक्या बैण्ड से बौंठा लग्गा खतेणा तक मो0मा0का नवनिर्माण।	3.00	37.80	0.10
40	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड ऊखीमठ में चुन्नी बैण्ड से सरूणा तक मो0मा0 का नव निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	3.00	37.80	0.10
41	मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड खानपुर में पुरकाजी–लहर मार्ग से धनपुर याहियापुर तक मार्ग निर्माण।	3.00	0.93	0.10

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग